an>

Title: Need to bring Border Development Division under Ministry of Road Transport.

श्रीमती नीलम सोनकर (लालगंज) : आदरणीय सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय हित में सड़क विकास मंडल का गठन वर्ष 1960 में हुआ था, जिसका फंड परिवहन मंत्रालय से प्रशासनिक नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के अधीन था और इसके अध्यक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे। इसके अन्तर्गत जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (जी.आर.ई.एफ.) का गठन हुआ था, जिसे बार्डर रोड आर्गनाइजेशन यानी कि बी.आर.ओ. कहा जाता है। सीमा सड़क संगठन का स्थाई विभाग वर्ष 1970 में बनाया गया था। आज भी यह दो मंत्रालयों के अधीन होने के कारण अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हैं। इंजीनियर्स अपने को ठगा और कुंठित महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर समय से प्रमोशन नहीं मिल पाता है। वे जो कठिन परिश्रम करते हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। इस डिपार्टमेंट में 95 परसेंट सिविलियन हैं और 5 परसेंट आर्मी के लोग बाहर से आये हैं। ...(व्यवधान) ये सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपनी जान जोखिम में डालकर दुर्गम से दुर्गम स्थानों में कार्य करते हैं।

महोदय, बी.आर.ओ. का दो मंत्रालयों के बीच में होने के कारण सुचारू रूप से काम नहीं हो पाता है। हमेशा दुविधा की स्थिति होती है और सही कार्य नहीं हो पाता है। इससे देश की सड़क निर्माण में, विकास और उसकी प्रगति में अवरोध उत्पन्न होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ सीमा विकास मंडल को पूर्ण रूप से परिवहन मंत्रालय के अधीन किया जाये, जिससे इसकी कार्यकुशलता और क्षमता का लाभ देश को मिले। सामरिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बाहर के लोगों को सेना में वापस भेजा जाये। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।